न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना, जनपद मेरठ (उ०प्र०)
पीठासीन अधिकारी : श्री प्रशान्त मौर्य, उ०प्र० न्यायिक सेवा
J.O. Code : UP3377

आपराधिक वाद संख्या : 767/2024
उ०प्र० राज्य बनाम कर्मवीर एवं अन्य
मु०अ०सं० : 423/2016
धारा : 60 उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम
थाना : मवाना, जनपद मेरठ

आदेश दिनांक : 24.07.2026

निर्णय एवं दण्डादेश

1. पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभियुक्तगण—(1) कर्मवीर पुत्र यशपाल, (2) ओमपाल पुत्र मित्रपाल, (3) राहुल पुत्र हंसराज तथा (4) ओंकार पुत्र मित्रपाल—न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं। अभियुक्तगण द्वारा पृथक-पृथक दोषस्वीकारोक्ति प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने विरुद्ध धारा 60 उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत विरचित आरोप को स्वेच्छा से स्वीकार किया गया है।

2. अभियुक्तगण को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप का आशय स्पष्ट रूप से पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। उन्हें यह भी अवगत कराया गया कि वे दोष स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं तथा यदि वे दोष स्वीकार नहीं करते हैं तो उन्हें नियमित विचारण, अभियोजन साक्षियों से प्रतिपरीक्षण तथा अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। अभियुक्तगण को यह भी बताया गया कि दोष स्वीकार करने पर उन्हें विधि के अनुसार दण्डित किया जा सकता है।

3. अभियुक्तगण ने उक्त समस्त विधिक परिणामों को भली-भाँति समझने के पश्चात न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से कथन किया कि वे बिना किसी दबाव, भय, प्रलोभन अथवा अनुचित प्रभाव के स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार कर रहे हैं। न्यायालय द्वारा प्रत्येक अभियुक्त से पृथक-पृथक आवश्यक प्रश्न किए गए। उनके उत्तरों एवं आचरण से न्यायालय संतुष्ट है कि उनकी दोषस्वीकारोक्ति स्वैच्छिक, स्पष्ट, सचेत एवं निर्विवाद है।

4. अभियोजन के अनुसार दिनांक 14.08.2016 को समय लगभग 20:30 बजे थाना मवाना पुलिस द्वारा पूढी कमालपुर नहर पुल से मीवा जाने वाले मार्ग पर मारूति 800 कार संख्या UP14N 4698 को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस पार्टी को देखकर कार में सवार चार व्यक्ति कार छोड़कर अंधेरे एवं खड़ी फसल का लाभ उठाते हुए भाग गए, जिन्हें पुलिसकर्मियों द्वारा कर्मवीर, ओमपाल, राहुल एवं ओंकार के रूप में पहचानना दर्शाया गया।

5. अभियोजन के अनुसार उक्त कार की तलाशी लेने पर चार प्लास्टिक के कट्टों में कुल 284 थैलियाँ शराब खाम अर्थात् कच्ची शराब बरामद हुईं। बरामद शराब में से नमूना लेकर शेष सामग्री को सीलबन्द कर कब्जे पुलिस में लिया गया। विवेचना के पश्चात अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 60/72 उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

6. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में यह पाया गया कि धारा 72 उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम मुख्यतः अधिहरण एवं जब्ती संबंधी कार्यवाही का प्रावधान है तथा स्वतंत्र दण्डात्मक धारा नहीं है। तदनुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध केवल धारा 60 उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया था। उस समय अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार करते हुए विचारण की मांग की थी, किन्तु अब चारों अभियुक्तों ने स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार कर लिया है।

7. न्यायालय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्द बरामदगी, आरोप–पत्र, विवेचना के दौरान संकलित अभिलेखों तथा पत्रावली पर उपलब्ध अन्य सामग्री का अवलोकन किया। अभियुक्तगण द्वारा की गई दोषस्वीकारोक्ति स्पष्ट एवं स्वैच्छिक है तथा वह पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन सामग्री से भी समर्थित है। दोषस्वीकारोक्ति में किसी प्रकार की अस्पष्टता अथवा शर्त संलग्न नहीं है।

8. उपर्युक्त परिस्थितियों में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियुक्तगण—(1) कर्मवीर पुत्र यशपाल, (2) ओमपाल पुत्र मित्रपाल, (3) राहुल पुत्र हंसराज तथा (4) ओंकार पुत्र मित्रपाल—ने दिनांक 14.08.2016 को मारूति कार संख्या UP14N 4698 में बिना वैध अनुज्ञप्ति, परमिट अथवा अधिकार के कच्ची शराब का अवैध परिवहन एवं कब्जा कर धारा 60 उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया है।

9. फलतः अभियुक्तगण—(1) कर्मवीर पुत्र यशपाल, (2) ओमपाल पुत्र मित्रपाल, (3) राहुल पुत्र हंसराज तथा (4) ओंकार पुत्र मित्रपाल—को धारा 60 उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के अपराध में उनकी स्वैच्छिक दोषस्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्ध किया जाता है।

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई

10. दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण को सुना गया। अभियुक्तगण ने कथन किया कि वे अत्यन्त निर्धन व्यक्ति हैं, अपने परिवार के भरण–पोषण के लिए श्रम करते हैं तथा कठोर दण्ड दिए जाने पर उनके आश्रित परिवारों को कठिनाई होगी। उन्होंने अपने कृत्य पर पश्चाताप व्यक्त करते हुए भविष्य में इस प्रकार का कोई अपराध पुनः न करने का आश्वासन दिया तथा दण्ड में उदारता बरते जाने की प्रार्थना की।

11. अभियोजन की ओर से अपराध की प्रकृति तथा बरामद कच्ची शराब की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए विधि के अनुसार दण्ड प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया।

12. न्यायालय ने दण्ड के प्रश्न पर दोनों पक्षों के कथनों तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों पर विचार किया। वर्तमान घटना दिनांक 14.08.2016 की है और इस प्रकार लगभग दस वर्ष पुरानी है। वर्तमान वाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित **Expeditious Disposal Action Plan (APAaR–DJ)** के अंतर्गत शीघ्र निस्तारण हेतु चिन्हित पुराने वादों में सम्मिलित है।

13. अभियुक्तगण ने स्वेच्छा से दोष स्वीकार कर न केवल अपने कृत्य के प्रति उत्तरदायित्व स्वीकार किया है, बल्कि न्यायालय के बहुमूल्य समय की बचत करते हुए वाद के शीघ्र निस्तारण में भी सहयोग किया है। अभियुक्तगण ने अपनी आर्थिक स्थिति अत्यन्त कमजोर बताते हुए भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति न करने का आश्वासन दिया है। अभिलेख पर अभियुक्तगण के किसी पूर्व समान अपराध में दोषसिद्ध होने का कोई विवरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. वर्तमान अपराध दिनांक 14.08.2016 का है। अतः दण्ड निर्धारण अपराध की तिथि पर प्रभावी धारा 60(1) उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के अनुसार किया जाना आवश्यक है।

संविधान के अनुच्छेद 20(1) के अनुसार अभियुक्त को अपराध किए जाने के समय लागू दण्ड से अधिक कठोर दण्ड पश्चातवर्ती संशोधन के आधार पर नहीं दिया जा सकता।

15.धारा 60(1) उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, अपराध की तिथि पर प्रभावी प्रावधान के अनुसार, जुर्माना देय आबकारी शुल्क के दस गुने अथवा Rs. 500, जो अधिक हो, से कम नहीं हो सकता था।

16.वर्तमान प्रकरण में अभियोजन द्वारा न तो बरामद कच्ची शराब की वास्तविक मात्रा लीटर में दर्शाने वाला कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है और न ही प्रत्येक थैली में उपलब्ध शराब की मात्रा का कोई विधिसम्मत मापन अभिलेख पर है। प्रत्येक थैली में लगभग 200 मिलीलीटर शराब होने का केवल अनुमान लगाया जा सकता है, किन्तु ऐसा कोई मापन अथवा प्रमाण–पत्र पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

17.इसी प्रकार बरामद शराब पर अपराध की तिथि को देय आबकारी शुल्क की दर, कुल देय आबकारी शुल्क अथवा उसके निर्धारण की कोई विभागीय गणना भी अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। न्यायालय केवल अनुमान अथवा अटकल के आधार पर प्रत्येक थैली की मात्रा, कुल शराब की मात्रा अथवा उस पर देय आबकारी शुल्क निर्धारित नहीं कर सकता।

18.अतः उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर देय आबकारी शुल्क के दस गुने की कोई निश्चित एवं विश्वसनीय गणना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में अपराध की तिथि पर प्रभावी वैधानिक प्रावधान में उल्लिखित निश्चित न्यूनतम राशिRs. 500 प्रत्येक अभियुक्त पर अर्थदण्ड के रूप में निर्धारित किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत प्रतीत होता है।

19.प्रकरण की लगभग दस वर्ष पुरानी अवधि, अभियुक्तगण की स्वैच्छिक दोषस्वीकारोक्ति, उनके द्वारा न्यायालय का समय बचाने, उनकी कथित निर्धन आर्थिक स्थिति, भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति न करने के आश्वासन तथा अभिलेख पर किसी पूर्व समान दोषसिद्धि का विवरण उपलब्ध न होने को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय का मत है कि अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक की सजा तथा प्रत्येक को Rs. 500 अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित एवं पर्याप्त होगा।

<u>आदेश</u>

I. अतः अभियुक्त **कर्मवीर पुत्र यशपाल** को धारा 60 उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के अपराध में **न्यायालय उठने तक की सजा** तथा Rs. **500/– (पाँच सौ रुपये) के अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है।

II. अभियुक्त **ओमपाल पुत्र मित्रपाल** को धारा 60 उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के अपराध में **न्यायालय उठने तक की सजा** तथा Rs. **500/– (पाँच सौ रुपये) के अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है।

III. अभियुक्त **राहुल पुत्र हंसराज** को धारा 60 उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के अपराध में **न्यायालय उठने तक की सजा** तथा Rs. **500/– (पाँच सौ रुपये) के अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है।

IV. अभियुक्त **ओंकार पुत्र मित्रपाल** को धारा 60 उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के अपराध में **न्यायालय उठने तक की सजा** तथा Rs. **500/– (पाँच सौ रुपये) के अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है।

V. प्रत्येक अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न किए जाने की दशा में संबंधित अभियुक्त **03 दिवस का साधारण कारावास** पृथक रूप से भुगतेगा।

VI. अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाए। न्यायालय उठने तथा अर्थदण्ड जमा किए जाने के पश्चात, यदि वे किसी अन्य वाद में वांछित न हों, तो उन्हें तत्काल मुक्त कर दिया जाए।

VII. यदि अभियुक्तगण ने वर्तमान वाद में विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में कोई अवधि व्यतीत की है, तो उसे विधि के अनुसार समायोजित माना जाए।

VIII. निर्णय एवं दण्डादेश की एक–एक प्रति दोषसिद्ध अभियुक्तगण को अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाए।

IX. अर्थदण्ड जमा होने पर नियमानुसार रसीद पत्रावली पर संलग्न की जाए।

X. आवश्यक प्रविष्टि एवं अनुपालन के पश्चात पत्रावली नियमानुसार दाखिल–दफ्तर की जाए।

दिनांक : 24.07.2026

(प्रशान्त मौर्य)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना, मेरठ (उ०प्र०)
J.O. Code : UP3377